RPF SI & CONSTABLE 2024

रेल रक्षक बैच

POLITY

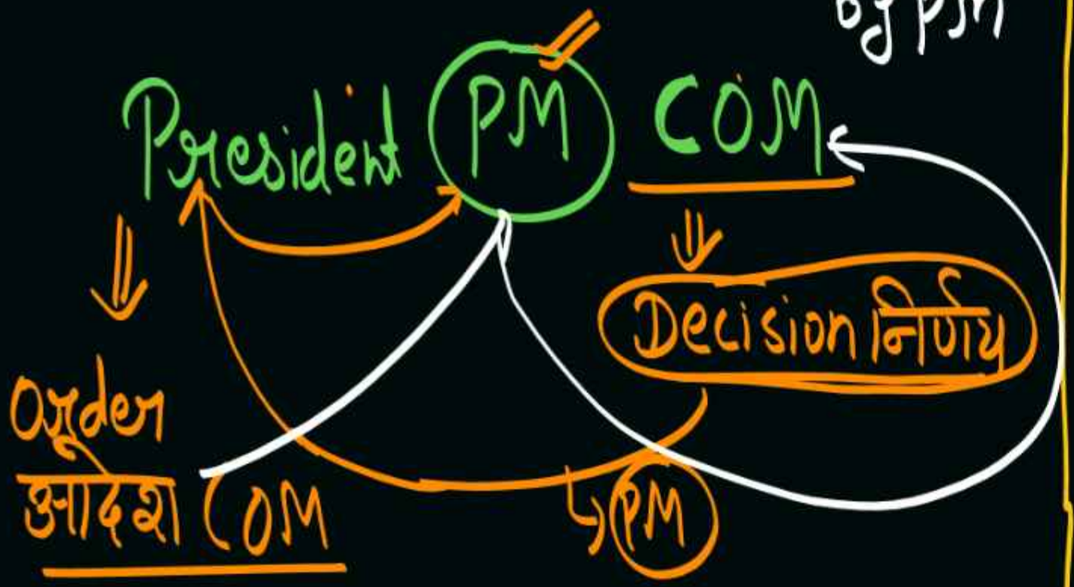
महान्यायवादी



LIVE 09-08-2024 11:00 AM

PM

Art. 78 ⇒ → प्रधानमंत्री के कर्तव्य Duties of PM



Art. 78 ⇒ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रीपरिषद के मध्य मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। Play the role of Mediator between President and COM

CM

Art. 167 ⇒ CM

Governor CM COM

Art. 167 ⇒ मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद मध्य मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। Play the role of Mediator between Governor and COM या → Duty of CM ↳ मुख्यमंत्री के कर्तव्य

महान्यायवादी
Attorney General

↳ Part (भाग) - V

⇒ Art. 76 → भारत का एक महान्यायवादी होगा। जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

⇒ There shall be a Attorney General of India. Attorney General appoints by the President.

महाधिवक्ता
Advocate General

↳ Part (भाग) - VI

Art. 165 ⇒ राज्य का एक महाधिवक्ता होगा। जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। There shall be a Advocate General of state. Advocate General Appoints by the Governor.

A.G.

=> भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी। (Highest legal officer of Indian Govt.)

=> कार्य (Function) => भारत सरकार को विधिक मामलों पर परामर्श देना। (consult on legall Matter of Indian Government.)

=> भारत सरकार के सभी मामलों की सुनवाई (Supreme court / Hearing) का अधिकार होता है। (High Court)

Advocate General

=> राज्य सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी

=> कार्य => राज्य सरकार को विधिक मामलों पर परामर्श देना

=> राज्य सरकार के सभी मामलों की सुनवाई (High court) का अधिकार होता है।

=> ये राज्य सरकार का पक्ष न्यायालय [Court] में रखता है।

A.G.

→ A.G. ⇒ Supreme / High court में भारत सरकार का पक्ष रखता है।

→ वेतन (salary) ⇒ वेतन राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है।

Salary Determined by the President

⇒ वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। (salary pay from consolidated fund of India)

⇒ Salary (वेतन) ⇒ 2,50,000 रु

Advocate General

⇒ Salary → वेतन राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है।

⇒ राज्य की संचित निधि से दिया जाता है।

Salary Pay from consolidated fund of State

वेतन ⇒ 2,25,000

योग्यतायें (qualification) → उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों (Judges) के समान योग्यतायें — Art. 124(3)

(1) भारत का नागरिक citizen of India

(2) 5 वर्ष का किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का अनुभव (experience)
(Judge

या or

⇒ 10 वर्ष का किसी भी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता (Advocate) का अनुभव (experience)

qualifications

→ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान

↳ Art. 217(3) → भारत का नागरिक

→ किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष का अधिवक्ता (Advocate) का अनुभव

या or

⇒ 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद को धारण किया

Judicial officer.

कार्यकाल (Tenure)

→ राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण
Hold the office Pleasure of President
→ सरकार के कार्यकाल तक पद पर रहते हैं।

⇒ नियुक्ति - राष्ट्रपति
→ हटाता कौन है? ⇒ राष्ट्रपति
⇒ त्यागपत्र ⇒ राष्ट्रपति

केंद्र सरकार के परामर्श पर

कार्यकाल (Tenure)

→ राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण
→ सरकार के कार्यकाल तक पद पर
→ नियुक्ति - राज्यपाल
→ हटाता कौन है? → राज्यपाल
→ त्यागपत्र → राज्यपाल

राज्य सरकार के परामर्श पर

❖ राज्यपाल के बारे में प्रावधान भाग-6, अनु. 153-162 में दिया गया है। अनु. 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परन्तु एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।

Provisions regarding the Governor are given in Part-6, Articles 153-162. Article 153 states that there shall be a Governor for each State, but the same person may be appointed as the Governor of two or more States.

राज्यपाल की नियुक्ति Appointment of Governor

❖ संविधान के अनु. 155 के तहत् राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति उस व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है जिसे केन्द्र सरकार द्वारा नामांकित किया जाता है।

Under Article 155 of the Constitution, the Governor is appointed by the President. The President appoints a person nominated by the Central Government as the Governor of a State.

राज्यपाल की अर्हतायें Qualifications of Governor

❖ अनु. 157 के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्ति के लिए दो योग्यताएं होनी आवश्यक हैं। प्रथम, वह भारत का नागरिक हो और द्वितीय, उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो।

According to Article 157, two qualifications are necessary for appointment to the post of Governor. First, he should be a citizen of India and second, his age should be more than 35 years.

❖ राज्यपाल संसद के किसी सदन का अथवा किसी राज्य के विधानमण्डल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है और यदि वह किसी सदन का सदस्य है ।

A Governor cannot be a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of a State and if he is a member of either House.

❖ तो राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की तिथि से उस सदन में उसका स्थान (Seat) रिक्त समझा जाता है तथा वह कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता है (अनु. 158)।

Then, from the date of his appointment to the post of Governor, his seat in that House is considered vacant and he cannot hold any office of profit (Article 158).

राज्यपाल का कार्यकाल Term of office of Governor

- अनु. 156 के अनुसार, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त अपना पद धारण करता है। साधारणतः वह अधिकतम 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है

According to Article 156, the Governor holds office during the pleasure of the President. Generally, he can remain in office for a maximum of 5 years.

❖ इस अवधि के पूर्व वह राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकता है।

Before this period, he can resign from his post by submitting his resignation to the President.

❖ कार्यकाल समाप्त हो जाने पर भी वह उस समय तक अपने पद पर बना रहता है, जब तक कि उसके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति पद ग्रहण नहीं कर लेता है।

Even after the term ends, he continues to hold his post until another person takes his place.

राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते Salary and Allowances of the Governor

❖ निर्धारण संसद विधि द्वारा करती है। राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते 'राज्य की संचित निधि (Consolidated fund of State) से दिये जाते है,

The Parliament makes the determination through law. The Governor's salary and allowances are paid from the Consolidated Fund of the State.

राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान Oath or Affirmation by the Governor

❖ अनु. 159 राज्यपाल उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा।

Article 159 The Governor shall make and subscribe the oath or affirmation before the Chief Justice of the High Court of the State.

राज्यपाल की शक्तियाँ तथा कार्य Powers and Function of Governor

कार्यपालिका शक्तियाँ Executive Powers

- अनु. 154 (1) के अनुसार 'राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा।'

According to Article 154 (1), 'the executive power of the State shall be vested in the Governor and he shall exercise it either directly or through officers subordinate to him in accordance with the Constitution.'

- राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों, कर्की नियुक्ति करता है*

The governor appoints high officials of the state.

विधायी शक्तियाँ (Legislative Powers)

❖ अनु. 174 के अनुसार- राज्यपाल, राज्य विधानमण्डल के एक या दोनों सदनों का समय-समय पर अधिवेशन (सत्र) बुला सकता है तथा उसका सत्रावसान (Prorogue) कर सकता है;

According to Article 174- The Governor can call a session of one or both the Houses of the State Legislature from time to time and can prorogue it;

❖ राज्यपाल विधानसभा को विघटित (Dissolve) भी कर सकता है किसी सदन या सदनों को संदेश (Message) भेज सकता है (अनु. 175)। प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरम्भ में, विधानसभा में (तथा जिन राज्यों में विधान परिषद है वहाँ एक साथ समवेत दोनों सदनों में) विशेष अभिभाषण करता है (अनु. 176)।

The Governor can also dissolve the Legislative Assembly and send a message to any House or Houses (Article 175). At the beginning of the first session of each year, he makes a special address to the Legislative Assembly (and in states where there is a Legislative Council, to both the Houses assembled together) (Article 176).

अध्यादेश जारी करने की शक्ति Power to Promulgate Ordinances

वित्तीय शक्तियाँ (Financial Powers)

- वित्त मंत्री द्वारा 'वार्षिक आय-व्यय का अनुमानित विवरण' अर्थात् 'बजट' विधान मण्डल के समक्ष रखवाता है* (अनु. 202)।

The finance minister places the 'Estimated Statement of Annual Income and Expenditure' i.e. 'Budget' before the Legislature* (Article 202).

❖ राज्यपाल की अनुमति से ही धन विधेयक विधान सभा में पेश किया जाता है।

The money bill is introduced in the Legislative Assembly only with the permission of the Governor.

❖ राज्य सरकार की 'आकस्मिक निधि' पर राज्यपाल का नियंत्रण रहता है।

The Governor has control over the 'contingency fund' of the state government.

न्यायिक शक्तियाँ (Judicial Powers)

❖ अनु. 161 - किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किये गये किसी व्यक्ति के दण्ड को क्षमा (Pardons) करनें उसका प्रविलम्बन (Reprives) करने, विराम (Respites) या परिहार (Remissions) करने की अथवा दण्डादेश के निलम्बन, या लघुकरण (Commute) की शक्ति है। राज्यपाल को मृत्युदण्ड को क्षमा करने का अधिकार नहीं है Article 161 - Power to pardon, reprieve, remit or remit the punishment of any person convicted of any crime or to suspend or commute the sentence. Governor does not have the power to pardon a person sentenced to death.